



JHARKHAND EDUCATION PROJECT

New Collectorate Office, Pakur Bikash Bhawan, Block-B, 2nd Floor, PIN - 816107



— : आम-सूचना : —

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12 (1) C के अन्तर्गत नामांकन हेतु

एतद् द्वारा पाकुड़ जिला के अन्तर्गत निवास करने वाले अभिवंचित (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता एवं अनाथ बच्चे) एवं कमजोर वर्ग (जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हों एवं वैसे अभिभावक जिनके परिवार की सभी श्रोतों से वार्षिक आय रुपये 72000/- (बहत्तर हजार) से कम है), के बच्चों के अभिभावक को सूचित किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12 (1) C के अन्तर्गत गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीट पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकन लिया जाएगा। गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रवेश कक्षा	RTE धारा-12(1) C 25% नामांकन के अन्तर्गत कुल सीट
1	एलिट पब्लिक स्कूल, पाकुड़	I	10
2	संत जोसेफ स्कूल, पाकुड़	I	22
3	डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, पाकुड़	I	20
4	डी0पी0एस0, पाकुड़	I	08
5	संत डॉन बॉस्को स्कूल, पाकुड़	I	10
6	डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, महेशपुर	I	10
7	कलकत्ता गर्ल्स हाई स्कूल, पाकुड़	Nursery	08
8	संत जोसेफ इंग्लिश मिडियम, स्कूल चंद्रपुरा, महेशपुर	LKG	22
9	उर्सुलाइन मिडिल स्कूल, चंद्रपुरा, महेशपुर	KG	11
10	निर्मला मिडिल स्कूल, देवपुर, महेशपुर	UKG	32

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उपरोक्त गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नामांकन से संबंधित आवश्यक नियमावली/शर्तें एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र <https://rtepakur.in> के वेबसाइट पर उपलब्ध है। नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन <https://rtepakur.in> पर किया जा सकता है। अंकित विद्यालय में RTE 12 (1) C के अन्तर्गत नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 28.03.2025 है।

25/03/25

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पाकुड़।

उपायुक्त,
पाकुड़।

R
25/3/2025
ADPO